

20.3.25

वकील जार्जी उपस्थित। वकील जार्जी द्वारा डिस्ट्री अनुकूल रजिस्टर
रिकॉर्ड में अंकन होना बताया। धारिणा - पत्र में कोई किरायाही
शेष नहीं होने पर धारिणा-पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली
नंबर से अफ होम दाखिल दफ्तार हो।

अदेश दिए इजलाह हुमादा गुप्ता



उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)



GICMS
2024/689